

न्यायालय तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – गिराज प्रसाद बंसल

किस्म मुकदमा :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या-21/2022 तारीख रजू 11.01.2022 निर्णय दिनांक 27.01.2022

निर्णय

राजस्थान सरकार बनाम् शिवराम पुत्र सिरमौहर गुर्जर निवासी कनावर

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना मे वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि श्री शिवराम पुत्र सिरमौहर गुर्जर निवासी कनावर बयाना ने ग्राम कनावर तहसील बयाना के सिवायचक बा.3 भूमि आराजी खसरा नम्बर 758 मे रकबा 0.12 है० पर फसल रवी सम्बत 2078 मे अनाधिकृत रूप से फसल गेहूँ काशत कर अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 (3) के तहत दिनांक 27.1.2022 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथि को गैर सायल ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया। गैरसायल द्वारा अपने जबाव में कोई भी ऐसा साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि उसके द्वारा किया गया अतिक्रमण वैधानिक है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल रवी सम्बत 2078 मे उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा/काशत करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। इसलिये गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः फसल रवी सम्बत 2078 मे अतिचारी श्री शिवराम पुत्र सिरमौहर गुर्जर निवासी कनावर बयाना पर ग्राम कनावर तहसील बयाना के सिवायचक बा03 भूमि खसरा नम्बर 758 मे रकबा 0.12 है० पर अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल पर लगान राशि 1.50 रूपये का पचास गुना राशि 75 रूपये की शास्ती आरोपित की जाकर मोक़े से बेदखल कर फसल अथवा अन्य साम्रगी आदि को कुर्क कर नीलाम करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय अनुसार बेदखली , फसल जप्ती , नीलामी एवं वसूली हेतु सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा माँग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

इस पत्रावली की वापस सामग्री
दिनांक 27/01/2022 को देना है।
क. 27/01/2022 को जा चुकी है।
बयाना राजस्व लेखाकार
तहसील बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

